न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना। (32)

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

29-01-2013

01.03.13

आवेदक **मो0 सलाम इराकी**, पिता—मो0 सत्तार, सा0—रायपुरा ईदगाह पर, थाना—फतुहाँ, जिला—पटना उपस्थित। आयुक्त न्यायालय, शस्त्र अपील वाद संख्या—569/2007 मो0 सलाम इराकी बनाम बिहार सरकार में आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा दिनांक—11.06.2011 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु वाद की सुनवाई की गयी।

आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके द्वारा लिखित बयान पूर्व में समर्पित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित बयान का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा उक्त लिखित बयान में मात्र कोतवाली थाना कांड सं0—80/2004 के बिन्दु पर अपनी स्थिति स्पष्ट की गयी है।

पूर्व निर्गत आदेश ज्ञापांक—5681/श0, दिनांक—10.10.2007 तथा वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना द्वारा दिनांक—28.04.2007 को निर्गत पत्र का अवलोकन किया गया। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना द्वारा मो0 सलाम इराकी से संबंधित कारण पृच्छा पर आरक्षी उपाधीक्षक, विधि—व्यवस्था, पटना से मंतव्य प्राप्त करते हुए उसकी छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ उपलब्ध करायी गयी है। आरक्षी उपाधीक्षक, विधि—व्यवस्था, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन में मो0 सलाम इराकी के विरूद्ध कोतवाली थाना कांड सं0—80/2004 दिनांक—15.04.2004, कोतवाली थाना कांड सं0—97/2005 तथा कोतवाली थाना कांड सं0—527/2005 में अभियुक्त मो0 सलाम इराकी के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किये जाने की बात प्रतिवेदित करते हुए आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित करने हेतु उचित पात्र नहीं पाया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के द्वारा समर्पित लिखित बयान, उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक **मो0 सलाम इराकी** के रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0—1017/2003, थाना—फतुहाँ को पुनः स्थापित **(Restore)** किये जाने का कोई यथेष्ट कारण/आधार नहीं है।

(33)

शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–V–11016/16/2009–शस्त्र, दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आयुक्त न्यायालय, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा शस्त्र अपील वाद सं0–569/2007 में दिनांक–11.06.2011 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–1017/2003, थाना–फतुहाँ, जिला–पटना को पुनः स्थापित **(Restore)** करने हेतु समर्पित आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।